बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

फैक्स/ई-मेल पत्रांक-प्र03-विविध-03/2015- 4977 खाद्य/पटना, दिनांक- 18/06/15

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार चौधरी,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- लंबित पेंशन/सेवांत लाभ से सम्बन्धित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक- 1155 दिनांक- 06.02.2015, 2012 दिनांक- 10.03.2015 एवं पत्रांक- 3141 दिनांक- 16.04.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेंशन एवं सेवांत लाभ का भुगतान सेवा निवृति के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप किये जाने का सरकारी निदेश है ।

जिलान्तर्गत आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग के सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी यथा-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों के लंबित पेंशन/सेवांत लाभ से सम्बन्धित कर्मचारीवार अद्यतन प्रतिवेदन के अभाव में तत्सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट स्थिति रखने में कठिनाई हो रही है । प्रायः देखा जा रहा है कि जिलों से तत्संबंधी जो प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसमें लंबित मामलों की मात्र संख्या अंकित है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन-किन पदाधिकारी/कर्मियों का भुगतान कब से और किन-किन मदों में लंबित है ।

उपर वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक पत्रांक- 1155 दिनांक- 06.02.2015 के साथ विहित प्रपत्र में तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । पुनः प्रासंगिक पत्रांक- 3141 दिनांक- 16.04.2015 द्वारा विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया, किन्तु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित मामलों की विस्तृत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है ।

अनुरोध है कि तत्संबंधी प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि सेवांतलाभ से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति स्पष्ट किया जा सके ।

विश्वासभाजन,
17.6.15
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-विविध-03/2015- 4977 खाद्य/पटना, दिनांक- 18/06/15

प्रतिलिपि- सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.6.15
सरकार के अपर सचिव ।

D:\Year-2013\Sec-03\File\Letter-4 Vived.doc